



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate-copy CRSLP9427176

8/3/2021



जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	गोविन्दपुर	हल्का	हल्का-04
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	10	पृष्ठ संख्या वर्तमान	15	धाना न. 89
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/राजस्व धाना न.	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. वर्तमान
27176	11041/R27 2021-2022	भेलाटाडा/89	गोविन्दपुर	01/08/2021	By Sale Registration Deed 5094 Dated 25/12/2020	245 1 251
क्रेता का नाम:	(AMITA MONDAL,पति-SHYAMAPAD MONDAL, जाति-पति-KALI MANDIR, KHATAL ROAD NEAR GANPATI KUNJA DHATYA DHANBAD)	जमावर्ती रजत का नाम:	सुकदेव सिंह-पिता-रामा सिंह	विक्रेता का नाम:	RANJANA SINGHA ALIS RANJANA SINGH, पति- BIRENDRA PRASAD SINGH, जाति----, पत्नी-LUBY CIRCULAR ROAD, DHANBAD	
राजस्व कर्मचारी	हल्का-04 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएँ हस्तांतरित।	यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है	यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है	इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।	Signature valid Digitally signed by RAMJI VERMA अचलाधिकारी गोविन्दपुर	

Amita Mondal

## आदेश

तिथि  
Aug 1 2021

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा भेलाटाड थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
245	1202	0 एकड़, 8.25 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
RANJANA SINHA ALIS RANJANA SINGH	पति	BIRENDRA PRASAD SINGH

हे जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 5094 दिनांक MM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंद रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
सुकदेव सिंह	पिता	रामा सिंह
जयप्रभा वो अनुप्रभा	पिता	महेन्द्र प्रसाद सिंह
ऊपेन्द्रनारायण सिंह वो नागेन्द्र नारायण सिंह	पिता	रघुवर सिंह
उमा अग्रवाल	पति	सुरेश कुमार अग्रवाल
हर्षा सिंह	पति	अशोक कुमार सिंह
रंजना सिंह	पति	विक्रम प्रसाद सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अ/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त नामान्तरण बाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 10 रुपये  
स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
RAMJI VERMA  
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

*Amita Mandel*